न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 03/2009

वादी
1–भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति माली
निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–घीसाराम उर्फ घासीराम पुत्र बोफाराम जाति माली
2–गुलाबकंवर पत्नि वीरेन्द्रसिंह पुत्री महेश्वरसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासीनी रियांबड़ी
3–तहसीलदार मेड़ता हाल रियांबड़ी
4–उप तहसीलदार रियांबड़ी
5–उप पंजियक रियांबड़ी
6–उप पंजियक मेड़ता
7–पटवारी हलका रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,दुरूस्ती रेकर्ड,स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट 1955

वकील वादी– श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादी–श्री रामकरण चौधरी, महेन्द्र चौधरी,चेनाराम अग्रवाल,घनश्याम खालिया

निर्णय

दिनांक–10.11.2017

वादी का वाद निम्नलिखित पेश है :–

1– यह है कि ग्राम रियांबड़ी में खेत खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 1338 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 1337/1 रकबा 6 बिस्वा वाके स्थित है। जिसकी खतौनी की नकल संवत् 2055 से 2058 की सत्यप्रति साथ में पेश है।
2–यह है कि उक्त खेतो में वादी का 1/2 हिस्सा है। और उक्त खेत सामलाती है। वादी का 1/2 हिस्से पर मौके पर कब्जा कायम है। बींजाजी व बोफा जी ने आपस में अपने पिता के जीवनकाल में बंट कर लिया व 1/2–1/2 अलग अलग काबिज हो गए।
3– यह है कि उपरोक्त खेत वादी के व प्रतिवादीगण नंबर एक के पूर्वज स्वरूप जी के समय के खेत है। और तब से सामलाती है। और सामलाती काश्त व कब्जा है। और सहूलियत से बंटवारा के अनुसार 1/2 हिस्से पर मौके पर कब्जा कायम है। सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है।

स्वस्वप जी (फौत)
↓
धन्ना जी (फौत)

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

भंवरलाल बनाम घीसाराम

बींजा जी (फौत)
↓
मोहनराम (फौत)
↓
भंवरलाल

बौफा जी(फौत)
↓
घीसाराम उर्फ घासीराम

4–यह है कि सम्वत् 2018 से 2021 की गिरदावरी की नकल पेश है। जिसमें वादी के दादा बींजाजी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। और उक्त खेत शुरू से ही बींजाजी व बोफाजी के 1/2–1/2 हिस्से के सामालती खातेदारी के खेत रहे है। बींजाजी का बंट के अनुसार 1/2 भाग पर काश्त कब्जा कायम रहा है। उनके बाद में व उनके साथ वादी के पिता मोहन जो का रहा। अब वादी का है। जहां पर वादी के दादा बींजाजी काबिज थें वही पर आज वादी काबिज है।

5–यह है कि वादी के दादा बींजाजी भोले आदमी थे और बोफाजी होशीयार आदमी थे। परिवार के कर्ताधर्ता था इसलिये इन संयुक्त खातेदारी के खेतो में परिवार के कर्ताधर्ता की हैसियत से नाम बोफा जी का अकेले का दर्ज हुआ है। जो गलत दर्ज हुआ है। वास्तविकता में बीजाजी बोफाजी का दोनो का ही नाम दरज होना चाहिये था परंतु बोफाजी होशियार थे इसलिए उन्होने अपना नाम अकेले का गलत दर्ज करवा लिया।

6–यह है कि इन खेतो का नक्शा परिशिष्ट क नजरी नक्शा पेश है। जो नक्शा मे पूरे खेत मार्क एबीसीडी से बतलाये गये है। वादी का 1/2 हिस्से पर कब्जा बीजाजी के समय से जो पिछले सौ साल से कायम है। वादी के 1/2 हिस्से में चारो तरफ मार्क एबीई एफ खन्दक लगायी हुई है। तथा मार्क ए से एफ,बी से ई,ए से बी खन्दको पर बाड़ की हुई है। जो पांच पांच फुट उंची है। दोनो हिस्सो के बीच में जो मार्क ई से एफ खन्दक लगी हुई है जो करीब तीन चार फुट उंची बनी हुई है। और आधी दूर में माठ पर तारबंदी की हुई है। वादी के हिस्से के खेत मार्क एबीईएफ में वादी का मकानबना हुआ है। वादी के हिस्से में दो कुए है जिसमें एक कुआ अभी नया खुदवाया हुआ है।

7–यह है कि वादी का अपने मकान में विधुत सम्बंध भी लिया हुआ है व पानी का कनेक्शन भी लिया हुआ है। जिसकी प्रतियां साथ में पेश है। इसलिए वादी का कब्जा सौ साल से कायम है। जो मार्क एबीईएफ पर 1/2 हिस्से पर कायम है।

8–यह है कि पुराने जमाने सम्वत् 1983 सावणबदी 14 राव बहादुरजी के समय का पट्टा भी इन खेतो का बना हुआ है। जिससे भी यह खेत सामलाती साबित होते है। वादी व उसके पूर्वजो का 1/2 हिस्सा साबित होता है। फोटो प्रति पेष है।

9–यह है कि इस प्रकार गलती से उक्त खेतो में प्रतिवादी नंबर 1 का अकेले का नाम गलत तरीके से चल रहा है। और वादी का नाम गलती से दर्ज नहीं हुआ है। जबकि वादी का इस भूमि में 1/2 हिस्सा है। और 11 बिघा भूमि वादी के हिस्से की व वादी की खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादी का कब्जा मार्क एबीईएफ भूमि पर 11 बीघा भूमि पर कायम चला आ रहा है। जो पिछले सौ साल से है।

10– यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब हो गई है। अभी हाल ही में वादी के हिस्से को इनकार कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ हिस्सा का बेचान कर दिया गया। उक्त सामलाती भूमि को ओर बेचान करने की ऐलानियां धमकी दी जिससे यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

11–यह है कि उक्त कारणो से विवादित भूमि को वादी अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। जो परिशिष्ट क में बतायी गयी है। तथा वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी भी है कि वाद के निर्णय तक किसी भी भू भाग का बेचान नहीं करें।

12–यह है कि वादी की प्रार्थना है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

सहायक कलक्टर
रियांबड़ी(नागौर)

1–यह हैकि घोषणा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 जारी फरमायी जावें कि वाके ग्राम रियांबड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा खसरा नंबर 1338 रकबा 9 बिस्वा गै.मु.बेरा व खसरा नंबर 1337/1 रकबा 9 बिस्वा में 1/2 हिस्सा की भूमि 11 बीघा जो परिशिष्ट क में दर्शित है को वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें।

2–यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूध प्रतिवादीगण के जारी की जावे कि वाद के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादीगण किसी भी भू भाग का बेचान हस्तांतरण नहीं करें। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के बेचान,हस्तांतरण राजस्व रेकर्ड में बदलाव नहीं करें।
3–खर्चा हर्जा बादी से दिलाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील रामकरण जी चौधरी व महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा व जबाब दावा मय फैहरिस्त दस्तावेजात व काउन्टर क्लेम पेश किये गये।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि–

ग्राम रियांबड़ी की सरहद में खेत खसरा नंबर 1339,1338 व 1337/1 जमीन वाके है। उक्त खसरा की भूमि का एक चक आया हुआ है जिसका रेकोर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है उक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

यह है कि उक्त खसरान की भूमि में बादी,वादी के पिता मोहनराम व वादी के दादा बीजांराम व वादी के परदादा धन्नाराम का कोई हक हिस्सा बंट नहीं है। उक्त खसरान की भूमि बोफा जी की यानि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की स्वअर्जित खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। वादी ने बींजाजी बोफा जी द्वारा आपस में अपने पिता के जीवनकाल में 1/2–1/2 हिस्सो का बंट कर लेने के तथ्य जो लिखे वह मनगढत है। वादी ने जिस वादग्रस्त खसरान की भूमि का वाद प्रस्तुत किया है इस संबंध में आगे भी वादी के पिता व दादा द्वारा वाद प्रस्तुत कियेजा चूके है। उन सभी वादो में व वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद में अलग अलग अभिवचन प्रयोग में लिये गये है। कहीं कही पर वादग्रस्त खसरा की जमीन अविभाजित बताई गई है। कहीं विभाजित बताई गई है। इसलिए वादी ने गलत व मनगढत तथ्य बताकर वाद पेश किया गया है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज स्वरूप जी जरूर थे। मगर उक्त खसरान की भूमि स्वरूप जी की नहीं है। बल्कि यह जमीन स्व.बोफा जी स्वअर्जित खातेदारी की काश्त कब्जासुद थी। बोफा की स्वर्गवास प्रतिवादी संख्या 1 को उतराधिकार में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से ही कब्जा चला आ रहा है। अगर उक्त भूमि स्वरूप जी की होती तो निश्चित ही धनाराम जी के नाम खातेदारी दर्ज होती। बोफाराम जी ने ही बिघोड़ी जमा कराई और सेटलमेंट में खातेदारी प्रदान की गई। इस भूमि पर वादी व उसके पिता व दादा का कोई हक अधिकार नहीं है। वादी ने जो वंशावली बताई है वह भी अपूर्ण है। मोहनराम के अन्य पुत्रो को इस सिजरा खानदान में नहीं बताया गया है।

यह है कि सम्वत् 2018–2021 की गिरदावरी में अगर कहीं बीजाराम का नाम गलती से दर्ज हो भी गया तो भी इससें वादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते। स्वंय मोहनराम व बोफा जी द्वारा पूर्ववर्ती वाद खारीज हो चूका है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान के खेत को जमीनबीजाजी व बोफा जी के संयुक्त खातेदारी के खेत नहीं थे न ही कभी सामलाती काश्त कब्जा रहा। वादी की नियत खराब हो गई है। प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की नियत से यह वाद पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

यह है कि वादी के दादा बीजाजी भोली प्रवृति के आदमी नहीं थे बल्कि वह तो बहुत ही चतुर और होशियार थे। धन्नाराम जी की मौजा पादुकलां की सरहद में आयी खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा अन्य खसरान की भूमि में 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बोफाराम की व उनके स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उतराधिकार में प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 का ही मौके पर काश्त व कब्जा है। मगर स्व.बींजाजी ने उक्त खसरा के सम्पूर्ण रकबा की खातेदारी अपने अकेले के नाम करवा ली। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा की भूमि पर काश्त व कब्जा

शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से पूर्व उनके पिता बोफा जी का काश्त व कब्जा चला आ रहा था। मगर वादी के पिता बीजाजी ने पटवारी हलका से मिलावट करके सारी जमीन अपने नाम करवा ली। वादग्रस्त खसरान की भूमि तो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बोफा जी ने अर्जित की है। प्रतिवादी संख्या 1 तो छोटे थे और मेहनत मजदूरी करके राज्य सरकार में बिघोड़ी जमा करवाई गई थी।

यह है कि वादी ने जो नजरी नक्शा परिशिष्ट क पेश किया है उस नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. वादग्रस्त खसरान की भूमि बतायी है। जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की काश्त कब्जासुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खेत की सुरक्षा के लिए मौके पर बाड़ व तारबंदी कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 परिवार काफी बड़ा हो चूका है जो अपने खेतो में अलग अलग मकान बाड़े बनाकर रह रहे है। अपने हिस्से में मवेशियो के लिए पेड़ उगा रखे है।

यह है कि वादी ने विधुत बिल किस मकान का लिया है वह वादी ही साबित करें मगर वादग्रस्त खसरा के संबंध में न तो वादी ने कोई विधुत संबंध लिया है अगर कोई मिलावटी बिल वादी ने तैयार करवाया है तो प्रतिवादी संख्या 1 अलग से वादी के विरूध प्रकरण दर्ज करवायेगा। मौके पर वादी का कोई मकान बना हुआ नहीं है। कनेक्शन लेने का कोई प्रश्न नहीं है। वादी ने सारे कथन मनगढत व हास्यास्पद लिखे गये है।

पुराने जमाने 1983 सावन बदी चौदस राव बहादुर जी के समय का पट्टा जो वादी द्वारा बन हुआ होना बताया इस संबंध में यह कहना सुसंगत होगा कि रावबहादुर जी कौन थे उन्हें पट्टा जारी करने का हक व अधिकार था या नही ? किन खसरा नंबर का पट्टा जारी किया किनके पक्ष में जारी किया यह सारे तथ्य स्वंय वादी साबित करें।

यह है कि वादग्रस्त खसरान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बोफा जी के नाम माफिक कानून सही रूप से दर्ज हुई है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। वादग्रस्त खसरान में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रो का कब्जा काश्त है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब नहीं है बल्कि वादी की नियत खराब है। वादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में पूर्व में कई वाद खारीज हो जाने के बाद भी मनगढत तथ्यों पर फिर वाद पेश कर दिया गया है। जो काबिज खारीज के है। वादग्रस्त खसरान की भूमि का बेचान हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि प्रतिवादी एक रेकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नंबर 1339 में रकबा 14 बिस्वा का बेचान किया जो कानूनी रूप से सही किया गया है। जिसका नामान्तकरण भी हो चूका है और प्रतिवादी संख्या 2 शांतिपूर्वक काश्त काबिज है।

यह है कि वादी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार नहीं है। वादी ने बंटवाड़ा की प्लीडिंग की है मगर बंटवारा की इस्तदुआ नहीं चाही है। इस प्रकार अस्पष्ट प्लीडिंग होने व पूर्ववर्ति तथ्यों में बदलाव कर नये तथ्य अंकित करने में तथा पूर्ववर्ति वाद में कुआ मकान बिजली कनेक्शन होना जाहिर नहीं किया बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पिता के मकान व कुआ कदीमी से बने हुए है।

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

इसस प्रकार वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। जिससे वादी का यह वाद काबिज खारीज के है।

व्कील प्रतिवादी नं जबाब के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया कि मौजा पादुकलां की सरहद में खेत खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा,खसरा नंबर 1517 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 1518 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 94 बीघा 17 बिस्वा की जर्मीन वादी के पिता व स्व. बीजाजी के संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि थी। मौके पर दोनो भाईयो का 1/2–1/2 हिस्से पर काश्त व कब्जा चला आ रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बोफाराम के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरा की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादी सहूलियत से

खसरा नंबर 1517 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा खसरा नंबर 518 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा में सें 15 बीघा 19 बिस्वा पर वादी व उनके पूर्वजो का काश्त व कब्जा चला आ रहा था। शेष रकबा 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा में सें 47 बिघा 9 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बौफाराम व बोफाराम के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिन जिन वर्षो में गिरदावरी में खातेदारी का अंकन हुआ उन वर्षो में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बोफाराम का काश्त और कब्जा दर्ज है। तथा पूर्व में वादी के परदादा बींजाराम द्वारा उक्त खसरान की जमीन के संबंध में जो राजस्व वाद पेश किया वो खारीज हुआ।जिससे साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का लगातार खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा में सें 47 बीघा 9 बिस्वा पर काश्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त 47 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक में कराने का मुश्तहक है। बाई लॉ ऑफ एडवर्स पजेशन से भी प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चूके है।

यह है कि इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 1 की है कि काउटर क्लेम की डिक्री बहक प्रतिवादी सं.1 खिलाफ वादी इस आशय की जारी की जावे कि मौजा पादुकलां की सरहद में खेत खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्ववा की जमीन में सें 47 बीघा 9 बिस्वा की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम घोषित की जावें। काउन्टर क्लेम में बताये गये पादुकलां का खसरा 1519 की आराजी में सें 47 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं.1 की बंटसुदा होने से सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया। जिस पर बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र को खारीज किया गया।

पत्रावली पर तनकी कायम की गई :–

1–आया ग्राम रियांबड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1338 रकबा 9 बिस्वा गै.मु.बेरा व खसरा नंबर 1337/1 रकबा 9 बिस्वा में 1/2 हिस्सा है कि भूमि 11 बीघा परिशिष्ट "क" में मार्क ए बी सी डी से दर्शित 11 बीघा भूमि वादी की खातेदारी की कब्जासुद घोषित की जावे तथा वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। (वादी)

2–आया उक्त खसरान की भूमि में व परिशिष्ट "क" नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखल व दस्तदांजी ना तो स्वंय करें ना अन्य से करवावे व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। (वादी)

3–आया पादुकलां की सरहद में खसरा नंबर 1519 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा में सें 47 बीघा 9 बिस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की बंटसुद है। (प्रतिवादी संख्या 1)

4–आया वादग्रस्त खसरा की जमीन प्रतिवादी जबाब देहिन्दा के पिता की स्वअर्जित खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। (प्रतिवादी)

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

वादी ने अपने वाद के समर्थन में शहादत भंवरलाल,रामदेव,चौथाराम,केवलचंद, रामकरण के शपथ–पत्र पेश किये। जिस में सें भंवरलाल व रामकरण उपस्थित हुए और प्रतिवादी वकील ने जिरह की गई।

शहादत रामकरण ने बताया कि मै अनपढ हूँ। मेरी उम्र 55 वर्ष करीबन है। भंवरू व घासी के खसरा नंबरान व रकबे का मुझे पता नहीं है। मै अनपढ होने की वजह से नहीं जानता हूँ। यह जरूर जानता हूँ कि आलनियावास रोड़ पर भंवरूलूणभेर पर घासी 1/2 काश्त करते है। मोहन जी एक ही पुत्र है छोटुराम, घनश्याम दो लड़के ओर हो तो मैने नहीं देखा है। सेटलमेंट के समय से ही भंवरू व घासी को काश्त करते देखा है। सेटलमेंट कब हुआ मुझे पता नहीं ? उक्त खसरान की जमीन पर मैं कभी निनाण करने जाता था। इनका नाप मैंने नहीं किया है। मैंने कोई लिखा पढी नहीं की है। अजखुद कहा कि इनके दादा 1/2 करके गये थे। घासीराम ने गुलाबकंवर को जमीन बेचान की है। यह सही है कि

इनके पूर्व में जमीन बाबत वाद चला था। मुझे पता नहीं की मोहन जी व बोफाजी के पादुकलां में जमीन आई हुई हो।

शहादत रामदेव ने बताया कि मैं खसरा नंबर 1339,1338,1337/1 का चिपता पड़ौसी नहीं हूँ यह कहना गलत है कि उक्त जमीन पर बोफाजी काश्त करते थे। भंवरलाल के पिता और घीसाराम दोनो काश्त करते थे। मेरी खुद की जमीन एक खसरा नंबर आया हुआ है खसरा नंबर मुझे याद नही। मुझे पता है कि 1/2 बंट है। मकान बना हुआ है। भंवरजी के बंट में टेक्टर चलाता हूँ। सन् 1992 में टैक्टर लाया था। उस समय से काश्त कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मोहनजी के कितनी जमीन आई हुई है। बंटवाड़ा की लिखा पढी मेरे सामने नही हुई। भंवरूजी अन्य खसरा में कितनी जमीन है मुझे पता नही। भंवरूजी मुझे खेती की काश्त के सालो साल रूप्ये देते है। वादग्रस्त खसरान की भूमि एक चक में आयी हुई है। यह कहना गलत है कि घासीराम के बढेरो की जमीन है। अजखुद कहा की भंवरलाल के बढेरो की जमीन है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष में स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम उर्फ घासीराम का शपथ–पत्र व गुलाबकंवर का शपथ–पत्र पेश किया गया।

शहादत प्रतिवादी में गुलाबकंवर पत्नि वीरेन्द्रसिंह ने वक्त जिरह में बताया कि मैने 14 बिस्वा जमीन खरीद की गई थी। मैने रोकड़ पैसे से जमीन खरीदी है। खरीदसुदा जमीन पर कब्जा काश्त मेरा है। बेचाननामा में जो पड़ौस लिखे है वो सही है। उतर दिशा में आलनियावास से सूरजगढ जाने वाली सड़क,दक्षिण में विकेता की शेष भूमि, पूर्व में भंवरूराम सांखला वादी का खेत व पश्चिम में विकेता की शेष आराजी। घासीराम व भंवरूराम का जमीन में 1/2–1/2 बंट हैं,मुझे पता नही ? मैने यह जमीन घासीराम से क्रय की है। मेरे अड़ोअड़ पूर्व की तरफ भंवरूराम सांखला का खेत है। मैने जो जमीन खरीद की उसके खसरा नंबर 1339 में सें 14 बिस्वा जमीन है जिसके नये खसरा नंबर 1395/957 कायम किये गये है। जो नजरी नक्शा में लालस्याही से दर्शित है। मैने जब यह जमीन खरीद की उस समय जमीन का वादी व प्रतिवादी के बीच लड़ाई–झगड़ा नहीं था। वह अपने अपने हिस्से पर काश्त काबिज थे। मेरी जमीन खरीदने के बाद यह वाद पेश हुआ।

शहादत प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम उर्फ घासीराम ने अपनी जिरह में प्रदर्श ईएक्स डी 1 से 5 प्रदर्शित करवाये गये।

घासीराम ने अपनी जिरह में बताया कि मोहनराम मेरे भाई लगते है। अजखुद कहा जो मेरे कुटुम्ब में है। बींजाजी व बोफाजी सगे भाई थे। शपथ पत्र में जो लिखा है वो सही है। धन्नाराम जी के दो लड़के बींजाजी व बोफाजी। मैं बोफाराम जी का लड़का हूँ। बींजा जी के लड़के मोहन व मोहनराम के तीन लड़के है जो अभी जिन्दा है। बींजाराम जी पहले ही फौत हो चूके है। बींजाजी के फौत होने के पहले ही अलग हो गये थे। पुराने समय से

सहायक कलक्टर
रियॉबडी(नागौर)

ही ग्राम पादुकलां व रियांबड़ी की जमीन पर सामिल ही काश्त करते थे। विवाद वाली जमीन पर मै ही काश्त करता हूँ। गुलाबकंवर को जो रजिस्टरी करवाई वो मैने करवाई जो सही है। इस रजिस्टरी में जो बात या तथ्य लिखे है वो सही है। यह रजिस्टरी सही है। इस विवादित भूमि के उतर में पंचायत समिति की जमीन आयी हुई है। दक्षिणी में गुलाब जी का जाव आया हुआ है। पूर्व में हाथी जी व रतन जी का खेत है। पश्चिम में ग्राम रियांबड़ी की आबादी की भूमि है। बिजली का कनेक्शन मोहनराम के नाम से इस विवादित भूमि में नहीं है। मौका कमिश्नर ने मौका देखा तब मैं वहां पर उपस्थित था। मौका देखा वह सही है। गाये व पशुधन मेरे थे। पूरी जमीन पर मै ही काश्त करता हूँ। रकबे में तीन टुकड़े है पर मौके पर एक ही टुकड़ा है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि रियांबड़ी के खसरा नंबर 1339,1338,1337/1 की आराजी पैतृक है और वादी का

1/2 हिस्से पर पुराने समय से काश्त कब्जा चला आ रहा है। गिरदावरी नकल संवत् 2018 से 202 में वादी के दादा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनां 13.11.2009 में भी 1/2–1/2 हिस्सा बताया गया है। घीसाराम ने दिनांक 24.7.2008 को गुलाबकंवर को 14 बिस्वा की रजिस्ट्री करवाई गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वंय ने उक्त बेचाननामा में पूर्व की तरफ वादी का हिस्सा बताया है। स्वंय प्रतिवादी घासीराम ने बेचांननामा के सभी तथ्य सही होना अपने शपथ पत्र जिरह में स्वीकार किया है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेष 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया जो भी खारीज हुआ। जिसकी अपील भी नहीं की गई। मेड़ता एसडीओ कोर्ट में जो वाद खारीज हुआ था वह वकील द्वारा नो इन्ट्रेक्शन में खारीज करवाया गया था। जो वाद मैरिट पर खारीज नहीं हुआ। उक्त वाद से यह वाद बाध्य नहीं है। वादी के दो भाई और है जिसको ग्राम पादुकलां की जमीन बंट में दी गई है। इसलिए रियांबड़ी में उक्त आराजी वादी भंवरलाल के हिस्से बंट में रखी गई है। इसलिए भंवरलाल ने ही दावा किया गया है। वादी भंवरलाल व उसके भाईयो ने पैतृक सम्पत्ति का (भूमि व प्लाट इत्यादि) बंटवारा किया। जिसका ईकरारनामा भी किया गया था।

वादी का लंबे समय से काश्त कब्जा चला आ रहा है और वादग्रस्त आराजी में वादी के मकान बाड़े इत्यादि बने हुए है और चारो तरफ मेड़बंदी की हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वंय ने अपने बेचननामा में वादी का पड़ौस दर्शाया है और स्वंय केता ने भी अपने बयानो में वादीं को ही पड़ौस बताया है। जिससे जाहिर होता है कि वादी 1/2 हिस्से पर लंबे समय से काश्त काबिज चला आ रहा है। पुराने समय से जारी पट्टे में भी पड़ौस दर्ज है।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क किया कि विवादित आराजी स्वरूप जी के नाम से थी। मोहनराम के तीन लड़के है एक वादी व छोटुराम,घनश्याम है। वादी अकेला ही दावा लेकर आया है। इनके दो भाई व मां भी है। उसको भी पक्षकार क्यों नहीं बताया गया। और प्रस्तुत वाद में बंट कब हुआ यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जो पूर्व में कमिश्नर रिपोर्ट का जिक वकील वादी ने किया है वह मान्य नहीं है। स्व.बींजाजी व बोफाजी के बीच में बंटवारा कब हुआ कहीं पर उल्लेख नहीं है। सभी को पक्षकार नही बनाने से बंटवाड़ा साबित नहीं होता है। सामलात व बंटवारा दोनो की प्लींडिंग की जो गलत है। वादी ने काउन्टर क्लेम का जबाब भी पेश नही किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादी की मौन स्वीकृति है। पादुकलां का दावा 15.7.1972 को खारीज होना तब रियां का दावा पेश नहीं गया। वादी के पिता मोहनलाल ने 7.3.83 को वाद पेश किया उसमें मकान बाड़े व बंटवारे का उल्लेख नहीं है वो भी वाद खारीज हुआ। मोहनराम के सभी वारिशान को पक्षकार नहीं बनाया केवल भंवरलाल को बनाया गया है। घनश्याम छोटु,बेवा सायरी को नहीं

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

बनाया वो दावा भी खारीज हुआ। अब नया दावा पेश किया है जो मेन्टेबल नहीं है। दावा आदेश 23 में काबिल खारीज है। वकील प्रतिवादी ने अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर की नजीरे पेश की गई।

वकील पक्षकारान के बहस सुनने के आधार पर मैं यह उचित समझता हूँ कि निर्णय करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के संबंध में कब्जे,मौका व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार ने मौके पर जाकर अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जो इस प्रकार से है।

"ग्राम रियांबड़ी के साबित खसरा नंबर 1339 के नये खसरा नंबर 956 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.बेरा,957 रकबा 3.32 हैक्टर,1395/957 रकबा 0.11 हैक्टर,बने है। एंव साबित खसरा नंबर 1338 रकबा 0.09 बिस्वा के नये खसरा नंबर 958 रकबा 0.07 हैक्टर गै.मु.बेरा, साबिक खसरा नंबर 1337/1 रकबा 0.06 बिस्वा के नये खसरा नंबर 959 रकबा 0.05 हैक्टर बने है।नये खसरा नंबर 957,956,958,959,की खातेदारी घासीराम पुत्र बोफाराम कोम माली सा.देह रहन एसबीबीजे शाखा रियांबड़ी के नाम से दर्ज है। एवं खसरा नंबर 1395/957(नये) रकबा 0.11 हैक्टर की खातेदारी गुलाबकंवर पत्नि विरेन्द्रसिंह आत्मल महेश्वरसिंह के नाम दर्ज है।

मौका जांच करने पर पाया कि खसरा नंबर 957 रकबा 3.32 हैक्टर में सें 1.62 हैक्टर एंव खसरा नंबर 959 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 1.67 हैक्टर पर घासीराम पुत्र बोफाराम कोम माली सा.रियांबड़ी के कब्जा काश्त में है। एंव खसरा नंबर 1395/957 रकबा 0.11 हैक्टर में मौके पर घासीराम पुत्र बोफाराम का ही कब्जा है।

खसरा नंबर 956 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 958 रकबा 0.07 हैक्टर,खसरा नंबर 957 रकबा 3.32 हैक्टर में सें 1.70 हैक्टर कुल रकबा 1.78 हैक्टर मौके पर भंवरलाल पुत्र मोहनराम कोम माली सा.रियांबड़ी का कब्जा काश्त है। खतौनी नकल व मौका नक्शा साथ संलग्न है। फर्द मौके पर तैयार कर पढकर सुनाई गई एंव उपस्थित मौतबिरान से हस्ताक्षर करवाये गये।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड,जबाब दावा, साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से यह विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। जो स्वरूप जी के नाम से थी। जिस पर वादी के दादा बींजा का नामखसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जो प्रतिवादी संख्या 2 को खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा मे सें 14 बिस्वा का बेचान किया है उसमें वादी को पूर्व दिशा का पड़ौसी बताया है और अपने बयानो में भी बेचाननामा के अंदर जो तथ्य लिखे है उसको सही स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया वह भी खारीज हुआ जिसकी अपील भी प्रतिवादी संख्या 1 ने नहीं की है। जिससे विदित है कि प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी ने अपने जबाब के साथ पूर्ववर्ती वाद की प्रति पेश की है। जो मेड़ता एसडीओ कोर्ट में यह वाद नो इन्ट्रक्शन/अदम पैरवी में खारीज हुआ है। वादी ने स्वयं ने खारीज नही करवाया गया है। वादी भंवरलाल ने अपने भाईयो को ग्राम ग्राम पादुकलां में बंट में जमीन दी गई और रियांबड़ी में स्थित भूमि अपने बंट में रखी गई।

वकील पक्षकारान की बहस के आधार पर भूमिधारी से कब्जे/काश्त व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार ने मौके पर जाकर रूबरू मौतबिरान के समक्ष वर्तमान में कब्जे काश्त व वर्तमान में काबिज होने के संबधं में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की गई। जिससे साबित होता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का काश्त कब्जा 1/2–1/2 के हिसाब से है और शांतिपूर्वक चल रहा है। रिकोर्डली खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से

सहायक कलेक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

है। परंतु मौके पर बंट किये हुए है। वर्तमान में वादग्रस्त खसरान के नये नंबर 956,957,958,959 कायम हो चूक है। खसरा नंबर 1395/957 रकबा 0.11 हैक्टर गुलाबकंवर की खातेदारी में,खसरा नंबर 957 रकबा 3.32 हैक्टर में सें 1.62 हैक्टर एंव खसरा नंबर 959 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 1.67 हैक्टर घासीराम पुत्र बोफाराम माली रियांबड़ी का काश्त कब्जा है। खसरा नंबर 956 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 958 रकबा 0.07 हैक्टर व खसरा नंबर 957 रकबा 3.32 हैक्टर में सें 1.70 हैक्टर कुल रकबा 1.78 हैक्टर पर मौके पर भंवरलाल पुत्र मोहनराम माली रियांबड़ी का काश्त कब्जा है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा खातेदारी घोषणा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि :–

" मौजा रियांबड़ी के खेत खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 1339 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा,खसरा नंबर 1337/1 रकबा 9 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 956,957,958,959 कायम हुए है में 1/2 हिस्सा की भूमि 11 बीघा यानि 1.78 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शा जो भूमिधारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया को वादी भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति माली निवासी रियांबड़ी की खातेदारी की घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वंय करें ना ही अन्य से करावें।"

नोट–खसरा नंबर 1395/957 रकबा 0.11 हैक्टर की खातेदारी गुलाबकंवर पत्नि वीरेन्द्रसिंह आत्मज महेश्वरसिंह यानि प्रतिवादी संख्या 2 की यथावत रहेगी। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियॉबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस

वादी
1–भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति माली
निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–घीसाराम उर्फ घासीराम पुत्र बोफाराम जाति माली
2–गुलाबकंवर पत्नि वीरेन्द्रसिंह पुत्री महेश्वरसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासीनी रियांबड़ी
3–तहसीलदार मेड़ता हाल रियांबड़ी
4–उप तहसीलदार रियांबड़ी
5–उप पंजियाक रियांबड़ी
6–उप पंजियाक मेड़ता
7–पटवारी हलका रियांबड़ी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का. अ 1955. मुकद्दमान राजस्व वाद संख्याः– 03/2009 यह मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–
" मौजा रियांबड़ी के खेत खसरा नंबर 1339 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 1339 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा,खसरा नंबर 1337/1 रकबा 9 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 956,957,958,959 कायम हुए है में 1/2 हिस्सा की भूमि 11 बीघा यानि 1.78 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शा जो भूमिधारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया को वादी भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति माली निवासी रियांबड़ी की खातेदारी की घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वंय करें ना ही अन्य से करवावें।"
नोट–खसरा नंबर 1395/957 रकबा 0.11 हैक्टर की खातेदारी गुलाबकंवर पत्नि वीरेन्द्रसिंह आत्मज महेश्वरसिंह यानि प्रतिवादी संख्या 2 की यथावत रहेगी। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।
नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर.....
फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

बरोब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–10.11.2017

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

भंवरलाल बनाम घासीराम

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी